Category	Basic	Incentive	Growth	Total
बहुत अच्छा श्रेणी	46,350/-	4,000/-	1,200/-	रू. 51,550/-
अच्छा श्रेणी	46,350/-	3,000/-	1,200/-	रू. 50,550/-
साधारण श्रेणी	46,350/-	1,500/-	1,200/-	रू. 49,050/-

21. एम0जे0 कॉलेज जुनवानी भिलाई छ0ग0 को अच्छा महाविद्यालय की श्रेणी में रखा गया है तथा श्याम शिक्षा महाविद्यालय, दमउधारा गुंजी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 को साधारण श्रेणी में रखा गया है । अतः एम0जे0 कॉलेज जुनवानी भिलाई छ0ग0 में संचालित एम0एड0 पाठ्यक्रम की फीस रू. 50,550/- तथा श्याम शिक्षा महाविद्यालय, दमउधारा गुंजी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 की फीस रू. 49,050/- प्रतिवर्ष नियत किया जाना यह समिति उपयुक्त पाती है, इससे भिन्न फीस का निर्धारण इन संस्थाओं के लिए किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

22. तद्नुसार यह समिति नीचे दर्शाएं अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण अंतिम रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शित वर्षों के लिए किया जा रहा है:

परिशिष्ट-I

सांदिपनी एकेडमी पेन्ड्री, मस्तुरी बिलासपुर छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के लिए तथा नीचे दर्शित शेष संस्थाओं हेतु बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण वर्ष 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए किया जा रहा है ।

स0 क्र0	बी0एड0 महाविद्यालयों के नाम	श्रेणी	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया जा रहा है	फीस प्रति वर्ष (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेवलपमेंट चार्जेस, इंसेंटिव एवं सभी अन्य फीस)
1	रामचण्डी महाविद्यालय, बगाईजोर, सरायपाली, महासमुंद छ0ग0	अच्छा	2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023	Rs. 32,997/-
2	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा रायपुर छ0ग0	अच्छा	2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023	Rs. 32,997/-
3	जे0वी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली, पोस्ट जुरडा, जिला रायगढ़ छ0ग0	अच्छा	2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023	Rs. 32,997/-
4	संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुर टोला राजनांदगांव	अच्छा	2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023	Rs. 32,997/-

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008

निजी शिक्षण संस्था आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा रायपुर छ0ग0, जे0वी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली, पोस्ट जुरडा, जिला रायगढ़ छ0ग0, संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुर टोला राजनांदगांव छ0ग0, गुरूकुल कॉलेज , जशपुर रोड़ पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0, रामदर्शन इंस्टी0 ऑफ एजुकेशन, जंघोरा, पिथौरा जिला महासमुंद छ0ग0 एवं रामचण्डी ... सरायपाली, महासमुंद छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम(दो वर्षीय) ...

2	जे0वी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली, जिला रायगढ़ छ0ग0	बी0एड0	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	29,270/-
3	संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुर टोला राजनांदगांव छ0ग0	बी0एड0	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	29,270/-
4	गुरूकुल कॉलेज , जशपुर रोड़ पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0	बी0एड0	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	29,270/-
5	रामदर्शन इंस्टी0 ऑफ एजुकेशन, जंघोरा, पिथौरा, महासमुंद छ0ग0	बी0एड0	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	29,270/-
6	रामचण्डी महाविद्यालय, बगाईजोर, सरायपाली, महासमुंद छ0ग0	बी0एड0	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	29,270/-

2. प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय के कार्य संचालन में आर्थिक कारणों से होने वाली कठिनाईयों बाबत् समिति द्वारा दिनांक 03/12/2019 को विस्तृत संकल्प पारित किया गया । संकल्प की कंडिका 1(स) एवं (द) में दर्शाया गया कि कंडिका(स) ''शिक्षण सत्र 2020-2021 से लगभग 120 से 125 निजी शिक्षण संस्थाओं में फीस निर्धारण को लेकर भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, ये संस्थाएं जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, अम्बिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, रायगढ़, पेन्ड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरायपाली, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, रायपुर एवं गरियाबंद आदि स्थानों में संचालित हैं । इसी प्रकार कंडिका(द.) ''उक्त संस्थाओं के फीस निर्धारण पूर्व भ्रमण कार्यक्रम एवं सचिवालय के आकस्मिक खर्चो हेतु रू. 1.00 लाख की मांग इस समिति के नोटशीट क्रमांक 350, दिनांक 21/10/2019 के द्वारा किया गया । तत्पश्चात् पुनः दिनांक 05/11/2019 को स्मरण पत्र भेजा गया । इसके बाद संचालक तकनीकी शिक्षा श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीना से उनके मोबाईल 8319630000 पर तीन-चार बार सम्पर्क करने का प्रयास किया गया । संचालक के द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2019 को अध्यक्ष, ए0एफ0आर0सी0 को भेजे गये एस0एम0एस0 के जवाब में यह लेख किया गया कि ''ए0एफ0आर0सी0 के सुचारू संचालन हेतु दिनांक 21/10/2019 को नोटशीट आपकी ओर भेजी गयी है, राशि के अभाव में कॉलेजों का निरीक्षण कार्य एवं कायालयीन कार्य अवरूद्ध हो गया है'' । मैसेज भेजने के पश्चात् भी दिनांक 30/11/2019 को मात्र रू. 50,000/- (रूपये ...

4. उक्त बी0एड0/एम0एड0 संचालित सभी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने महाविद्यालय में आय-व्यय से संबंधित जानकारी प्रपत्र-अ एवं ब में प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर प्रति छात्र गणना पत्रक समिति के सदस्य(वित्त) श्री सिद्धार्थ पारख द्वारा तैयार किया गया ।

5. वर्ष 2020-2021 से पुनरीक्षण वाले संस्थाओं का भ्रमण कार्यक्रम आर्थिक कारणों से समिति द्वारा नहीं किया गया, जिसका उल्लेख बिन्दु क्रमांक-2 में किया गया है । पुनरीक्षण वाले सभी संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एवं संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित फोटोग्राफ्स (जैसे लैब, लायब्रेरी, क्लास रूम, कार्यालय आदि) मंगवाएं गये । प्राप्त फोटोग्राफ्स एवं जानकारियों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया । समिति द्वारा सर्वसम्मति से तत्कालीन अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं वर्तमान में संस्थाओं से प्राप्त जानकारी एवं फोटोग्राफ्स आदि को दृष्टिगत रखते हुए कॉलेजों को बहुत अच्छा, अच्छा तथा साधारण की श्रेणी में रखी है ।

6. जहां तक बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों का संबंध है । फीस निर्धारण/पुनरीक्षण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना उचित होगा कि बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्र अधिकांशतः मध्यम आय वर्ग अथवा निम्न आय वर्ग के प्रायः होते हैं । अतः इन परिस्थितियों को विचार में रखते हुए कि संबंधित महाविद्यालय छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके । वहीं मध्यम व निम्न आय वर्ग के छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अध्ययन प्राप्त कर सकें । विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग की औसत आय को विचार में रखते हुए फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण किया जाना यह समिति उचित पाती है ।

7. यह समिति समस्त परिस्थितियों, स्थापना आदि में होने वाले व्यय, सदस्य(वित्त) द्वारा प्रस्तुत गणना पत्रक तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय तथा उच्च गुणवत्ता बनाएं रखने आदि दृष्टिकोणों के मद्देनजर फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण निम्नानुसार करना उचित पाती है ।

8. उपर्युक्त बी0एड0/एम0एड0 संस्थाओं के फीस निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु यह समिति सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतों एवं अधिनियम के प्रावधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहेगी । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश जिसमें सर्वप्रथम इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका (2003) 6 SSC 697 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 154 एवं पैरा 198 में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए हैं:

> 154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of the institution, investment made, future plan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.

9. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs. STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए हैं:

56. .... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money ....

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence i education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

10. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि:

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति:

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति:

(ग) भूमि और भवन का मूल्य:

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्कर:

(ङ) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय:

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य:

(छ) कोई अन्य सुसंगत कारक :

11.फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण के समय यह समिति युक्तियुक्त ढंग से फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु सर्वप्रथम इस समिति के सदस्य(वित्त) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गणना पत्रक का अवलोकन किया गया । गणना पत्रक में उन्होंने फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु गणना की है तथा अंत में फीस Expenditure per intake student including depreciation का उल्लेख किया है जिसके अनुसारः

स0 क0	बी0एड0/एम0एड0 महाविद्यालयों के नाम	पाठ्यक्रम का नाम	Amount (Rs. in lakh) As per Audit Report	Amount (Rs. in lakh) As per Form B
1	रामचण्डी महाविद्यालय, बगाईजोर, सरायपाली, महासमुंद छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.201
2	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा रायपुर छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.289
3	जे0बी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली, जिला रायगढ़ छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.000
4	संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुर टोला राजनांदगांव छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.266
5	गुरूकुल कॉलेज, जशपुर रोड़ पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.000
6	रामदर्शन इंस्टी0 ऑफ एजुकेशन, जंघोरा, पिथौरा जिला महासमुंद छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.000
7	एम0जे0 कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड़, भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0	एम0एड0	0.000	0.000
8	श्याम शिक्षा महाविद्यालय, दमउधारा गुंजी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0	एम0एड0	0.000	0.000

12.माननीय उच्च न्यायालय द्वारा PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 में निर्धारित किया है "Education, accepted as a useful activity, whether for charity or for profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it cannot be equated to a trade or a business" ।

13.पूर्व में माननीय जस्टिस झा समिति के द्वारा संस्थाओं द्वारा लिए गये लोन पर ब्याज पर स्पष्ट आदेश किये जा चुके हैं । तथा यह बात Islamic Studies Centre के फैसले में भी पूर्व में प्रतिपादित हो चुकी है ।

14.जहां तक बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस पुनरीक्षण का संबंध है । शिक्षण सत्र 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 में जिन संस्थाओं में फीस का पुनरीक्षण किया जाना है, उसमें सर्वप्रथम आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा रायपुर छ0ग0 की ओर से सुश्री डॉ0 अभिलाषा रजक उपस्थित हुई । उन्होंने अपनी संस्था में संचालित बी0एड0 का इंटेक 100 बताया तथा 193 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 60,000/- रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया । इस

महाविद्यालय को तत्कालीन समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 23/08/2017 में कुल फीस रू. 29,770/- निर्धारित किया गया था । इसी प्रकार जे0वी0जी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली, जिला रायगढ़ छ0ग0 की ओर से श्री सुनील बंते उपस्थित हुए । उन्होंने अपनी संस्था में संचालित बी0एड0 का इंटेक 100 बताया तथा 199 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 34,000/- रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया । संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुर टोला राजनांदगांव छ0ग0 की ओर से गुरूप्रीत कौर छाबड़ा उपस्थित हुई, उन्होंने अपनी संस्था में संचालित बी0एड0 का इंटेक 100 बताया तथा 196 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 31,000/- रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया । गुरूकुल कॉलेज, जशपुर रोड़ पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0 की ओर से डॉ0 अजीत कुमार यादव उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी संस्था में संचालित बी0एड0 का इंटेक 100 बताया तथा 199 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस जो उपयुक्त हो निर्धारण करने का निवेदन किया गया । रामदर्शन इंस्टी0 ऑफ एजुकेशन, जंघोरा, पिथौरा जिला महासमुंद छ0ग0 की ओर से श्री घासूराम निषाद उपस्थित हुए, उन्होंने इंटेक 50 बताया तथा 100 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 30,000/- रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया । इन चारो महाविद्यालयों की फीस तत्कालीन समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 23/08/2017 में कुल फीस रू. 29,270/- निर्धारित किया गया था । इसी रामचण्डी महाविद्यालय, बगाईजोर, सरायपाली, महासमुंद छ0ग0 की ओर से श्री नंदकुमार गोईं उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी संस्था में संचालित बी0एड0 का इंटेक 50 बताया तथा 100 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 35,000/- रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया । इस महाविद्यालय की फीस तत्कालीन समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 26/04/2017 में कुल फीस रू. 29,270/- निर्धारित किया गया था ।

15.पूर्व में उक्त बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं की फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया गया था ।

Category	Basic	Incentive	Growth & Development	Total
बहुत अच्छा श्रेणी	27,270/-	2000/-	1,000/-	रू. 30,270/-
अच्छा श्रेणी	27,270/-	1500/-	1,000/-	रू. 29,770/-
साधारण श्रेणी	27,270/-	1000/-	1,000/-	रू. 29,270/-

16.वर्तमान में यह समिति पूर्व के बेसिक फीस रू. 27,270/- में 05 प्रतिशत की वृद्धि रू. 1,364/- किया जाकर वर्तमान बेसिक फीस रू. 28,634/- किया जाना यह समिति उपयुक्त पाती है । इसी प्रकार ग्रोथ एण्ड डेव्लपमेंट शीर्ष में 10 प्रतिशत की दर से रू. 2,863/- बनता है, दिया जाना यह समिति उचित पाती है । पूर्व में इंसेंटीव बहुत अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय हेतु रू. 2000/-, अच्छा श्रेणी के महाविद्यालयों हेतु रू. 1500/- एवं साधारण श्रेणी के महाविद्यालयों हेतु रू. 1000/- निर्धारित किया गया है, को यथावत रखा जाना यह समिति उचित पाती है ।

17. बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं की फीस का पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाता है

Category	Basic	Incentive	Growth	Total
बहुत अच्छा श्रेणी	28,634/-	2000/-	2,863/-	रू. 33 ,497/-
अच्छा श्रेणी	28,634/-	1500/-	2,863/-	रू. 32,997/-
साधारण श्रेणी	28,634/-	1000/-	2,863/-	रू. 32,497/-

18.इसी प्रकार सांदिपनी एकेडमी, पेन्ड्री मस्तुरी बिलासपुर छ0ग0 की ओर से श्री ताराचंद तिवारी उपस्थित हुए, उन्होंने बी0एड0 में इंटेक 100 का बताया तथा वर्तमान में 191 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 35,490/- दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया । इस महाविद्यालय की फीस का पुनरीक्षण वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 से किया जाना है । ऐसी स्थिति में इस महाविद्यालय में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु चूंकि पूर्व में संकल्प दिनांक 03/06/2019 द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के लिए बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण/निर्धारण किया गया है, वही फीस इस महाविद्यालय हेतु निर्धारित किया जाना यह समिति उचित पाती है । अतः दिनांक 03/06/2019 की कंडिका-12 में बहुत अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय हेतु रू. 31,970/-, अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय हेतु रू. 30,970/- एवं साधारण श्रेणी के महाविद्यालय हेतु फीस रू. 29,970/- प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है । अतः यही फीस इस संस्था हेतु निर्धारित किया जाना यह समिति उचित पाती है । चूंकि सांदिपनी एकेडमी, पेंड्री मस्तुरी, बिलासपुर छ0ग0 अच्छा महाविद्यालय की श्रेणी में पाया गया है । अतः इस संस्था में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के लिए रू. 30,970/- प्रतिवर्ष/प्रति छात्र निर्धारित किया जाता है ।

19.इसी प्रकार एम0एड0 पाठ्यक्रम के संबंध में श्याम शिक्षा महाविद्यालय, दमउधारा गुंजी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 की ओर से श्री विनय प्रतापसिंह उपस्थित हुए, उन्होंने इंटेक 50 का बताया तथा कुल छात्र 50 अध्ययनरत होना बताया गया तथा फीस रू. 54,000/- रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया तथा एम0जे0 कॉलेज, जुनवानी भिलाई छ0ग0 से श्री अख्तर अजीज खान उपस्थित हुए, उन्होने एम0एड0 में इंटेक 50 बताया गया तथा वर्तमान में 43 छात्र अध्ययनरत होना बताया तथा फीस रू. 55,000/- प्रतिवर्ष रखने का तर्क प्रस्तुत किया गया ।

20.चूंकि श्याम शिक्षा महाविद्यालय, दमउधारा गुंजी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 में एम0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण 2018-2019, 2019-20 एवं 2020-2021 के लिए किया जाना है । इसी प्रकार एम0जे0 कॉलेज जुनवानी भिलाई छ0ग0 में एम0एड0 पाठ्यक्रम 2019-2020 से संचालित है । अतः इनकी संस्था में संचालित पाठ्यक्रम एम0एड0 में वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए होना है । पूर्व में तत्कालीन समिति द्वारा दिनांक 07/02/2019 को अन्य महाविद्यालयों हेतु एम0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण किया गया है, जो निम्नानुसार है ।

5	गुरूकुल कॉलेज, जशपुर रोड़ पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0	अच्छा	2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023	Rs. 32,997/-
6	रामदर्शन इंस्टी0 ऑफ एजुकेशन, जंघोरा, पिथौरा जिला महासमुंद छ0ग0	अच्छा	2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023	Rs. 32,997/-
7	सांदिपनी एकेडमी पेन्ड्री, मस्तुरी बिलासपुर छ0ग0	अच्छा	2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021	Rs. 30,970/-

परिशिष्ट-II

एम0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 एवं 21-2022 में प्रवेशित छात्रों के लिए

स0 क0	बी0एड0 महाविद्यालयों के नाम	श्रेणी	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।	फीस प्रति वर्ष प्रति छात्र (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस, इंसेंटीव एवं सभी अन्य फीस)
1	एम0जे0 कॉलेज, कोहका, जुनवानी रोड़, भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0	अच्छा	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	रू. 50,550/-
2	श्याम शिक्षा महाविद्यालय, दमउधारा गुंजी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0	साधारण	2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021	रू. 49,050/-

22. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क भवन, फर्नीचर आदि के मद में वसूल नहीं कर सकेगी ।
23. संस्था छात्र से रू. 2,000/- प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी ।
24. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
25. संस्था द्वारा ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि" (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा । संस्था ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस जिन-जिन मदों में ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईड तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रास्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

26. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

27. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, यदि कोई संस्था चाहे तो वह निर्धारित फीस से कम फीस ले सकती है ।

28. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र(जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

29. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था छात्र से रू. 10/-(रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 15/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

30. WP© 1707/2016 श्री शंकराचार्य प्राफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो वह काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

31. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही ली या वापस की जा सकेगी ।

32. निर्धारित फीस प्रति वर्ष ली जा सकेगी । संस्था चाहे तो इसे स्वेच्छानुसार प्रत्येक तीन माह के अंतराल में सुविधानुसार ले सकती है

33. संबंधित संस्थाएं फीस से संबंधित जानकारी एवं स0क्र0 21 से 32 तक की जानकारियां संस्था,के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा संस्था अपनी वेबसाईड में भी अपलोड करेंगे तथा की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

अतः यह समिति बी0एड0 एवं एम0एड0 महाविद्यालयों की श्रेणी का निर्धारण करते हुए परिशिष्ट I एवं II अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए फीस का <u>निर्धारण/पुनरीक्षण</u> करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाएं एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बी0टी0आई0 ग्राउण्ड, शंकर नगर रायपुर की ओर वेबसाईड में अपलोड हेतु भेजी जाए ।

(हस्ताक्षर) 4-3-2020 अध्यक्ष एएफआरसी	(हस्ताक्षर) सदस्य(विधि) एएफआरसी	(हस्ताक्षर) 4/3/2020 सदस्य(वित्त) एएफआरसी	(हस्ताक्षर) सदस्य(चिकित्सा शिक्षा) एएफआरसी